दिनाक 06.06.2022
प्रेस विज्ञप्ति 06/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रयागराज/थाना सोरांव

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 06.06.2022 को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भदरी क्रासिंग के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय कुमार उर्फ हब्बा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 285/2022 धारा 396/307/308/120बी/34 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सोरांव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विजय कुमार उर्फ हब्बा निवासी गोहरी विकास का पुरा थाना फाफामऊ जनपद प्रयागराज।

जनपद सीतापुर/थाना महोली

- **15–15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 06.06.2022 को थाना महोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–इदरीश 2–इरसाद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना महोली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 277/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महोली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इदरीश निवासी विक्रमपुरवा थाना महोली जनपद सीतापुर।

2—इरसाद निवासी विक्रमपुरवा थाना महोली जनपद सीतापुर।

जनपद अमेठी/थाना संग्रामपुर

- **15—15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 06.06.2022 को थाना संग्रामपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गड़ेरी मोड़ हिम्मतगढ़ के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—दुर्गा प्रसाद 2—अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 45/2022 धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भादवि में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15—15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दुर्गा प्रसाद निवासी पूरे गडेरियन का पुरवा, राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

2—अजय कुमार निवासी पूरे गडेरियन का पुरवा, राजापुर कोहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

जनपद अयोध्या/थाना पटरंगा

- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के 28 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **05 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.06.2022 को थाना पटरंगा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अशरफपुर गंगरैला मोड़ रानीमऊ के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–गोविन्द 2–देशराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के चोरी के 28 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 05 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके कब्जे से बरामद मोबाइल फोन, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पटरंगा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोविन्द निवासी भूडेहरी थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

2–देशराज निवासी बनीकोडर थाना रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–चोरी के 28 मोबाइल फोन।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–05 हजार रूपये नगद।

<u>जनपद लखनऊ ग्रामीण/थाना बीकेटी</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.06.2022 को थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भड़सर पेट्रोल पम्प के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—अमित कुमार 2—प्रमोद 3—रजत 4—बब्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बीकेटी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अमित कुमार निवासी दरियापुर थाना इटौंजा लखनऊ।

2—प्रमोद निवासी टिकरी थाना इटौंजा लखनऊ।

3—रजत निवासी टिकैतगंज थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

4—बब्लू निवासी अरिगवा थाना इटौंजा लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

- **<u>जनपद एटा/थाना आवागढ़ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट—द्वितीय जनपद एटा द्वारा थाना आवागढ़ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 डी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त प्रमोद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 02 कुन्टल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रूपये) बरामद।

दिनॉकः 06—06—2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले 04 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 कुन्टल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रूपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :—

1— अरूण कुमार यादव पुत्र लालचन्द्र नि0 ग्रा0 सतहरिया मुगराबादशाहपुर जौनपुर।

2— कृष्णा यादव पुत्र विरधन यादव नि0 कुचाई कोट गोपालगंज बिहार।

3— देवेन्द्र गुप्ता उर्फ चिन्टू पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता रामबिहारी नि0 बाजना रोड खैर बस स्टैंड कस्बा व थाना—नौहझील जनपद—मथुरा।

4— विनोद गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता रामबिहारी नि0 बाजना रोड खैर बस स्टैंड कस्बा व थाना— नौहझील जनपद—मथुरा।

बरामदगी :—

1— 02 कुन्तल गॉजा (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख रूपये)

2— 01 आयशर कैन्टर नं0 जीजे 16 एबी 3595

3— 02 अदद आधार कार्ड

4— 01 अदद ई—श्रम कार्ड

5— नगद 830 रूपये/—

6— 03 अदद मोबाईल फोन।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः—

बाजना कट के पास यमुना एक्सप्रेस—वे, थाना—नौहझील जनपद—मथुरा दिनांक 06—06—2022 समय 04:55 बजे।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदाथ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर जनपद मथुरा जाने वाले हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह, मु0आ0 विनोद सिंह, सुनील सिंह, आरक्षी विशाल गुप्ता की एक टीम कार्यवाही करने के उद्देश्य से जनपद मथुरा में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कुछ लोग उड़ीसा राज्य से एक आयशर कैन्टर नं0 जीजे 16 एबी 3595 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लेकर यमुना एक्सप्रेस होते हुये थाना क्षेत्र नौहझील जनपद–मथुरा पहुँचने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से 04 लोगों को मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान से आवश्यक बल प्रयोग कर आज दिनांक 06–06–2022 को सुबह 04.55 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अरूण ने पूछताछ पर बताया कि बरामद आयशर ट्रक उसका स्वयं का है, जिसे यह अपने ही चलाता है। देवेन्द्र व विनोद गुप्ता निवासी मथुरा के कहने पर उड़ीसा राज्य से यह गॉजा लाया जा रहा था, जिसे यही दोनों लोग उड़ीसा के किसी स्थान से कृष्णा यादव उपरोक्त के माध्यम से लोड कराये थे और अपने ट्रेन से वापस मथुरा आ गये थे। यहॉ आने पर यह लोग रिसीव करने आये थे। देवेन्द्र और विनोद जनपद मथुरा एवं आस पास के जनपदों में फुटकर में सप्लाई करते है, जिससे काफी मुनाफा होता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना–नौहझील, जनपद–मथुरा में मु0अ0सं0 230/2022 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य 134 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।</u>

दिनांक 05–06–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को लगभग 134 किलो ग्राम अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 40 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– शोएब खान पुत्र शरीफ खान, निवासी पुट्टी दरवाजा, किला परीक्षितगढ, थाना परीक्षितगढ, जनपद मेरठ।

2– वसीम पुत्र मौ0 यासीन, निवासी ग्राम ईकडी थाना सरधना, जनपद मेरठ हाल पता–ग्राम लिसाडी जफर गार्डन कालोनी थाना लिसाडीगेट, मेरठ।

3– दीपक शर्मा पुत्र राज कुमार शर्मा निवासी बरनावा निकट ठाकुरद्वारा वाली गली थाना बिनौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगीः</u>

1– 134 किलो ग्राम अवैध गांजा (कुल 94 पैकेट)

2– 01 निशान सनी कार नम्बर–एचआर–10डी–1285 (स्लेटी कलर)

3– 03 मोबाईल फोन

<u>गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान–</u>

दिनांक 05.06.2022 समय 21.15 बजे, परी चौक मैट्रो स्टेशन के पास, थाना क्षेत्र नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है। उच्चाधिकरियों द्वारा इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर

पुलिस अधीक्षक एवं श्री देवेन्द्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, नोएडा के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में उनकी संयुक्त टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 05–06–2022 को एसटीएफ फील्ड इकाई गौतमबुद्धनगर की टीम तथा थाना नालेज पार्क की पुलिस थाना क्षेत्र नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में विभिन्न हॉस्टल/पी0जी0 में संगठित अपराधिक गैंगों की तलाश में भ्रमणशील थी, कि परी–चौक मेट्रो स्टेशन के पास सड़क किनारे एक स्लेटी कलर की कार संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखाई दी, जिसे संदिग्ध होने का आभास होने पर एसटीएफ नोएडा टीम द्वारा उक्त कार की तलाशी ली गयी तो उसमें अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ था जिस पर कार में बैठे तीनों व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त शोएब खान उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसकी आयु लगभग 25 वर्ष है। सलीम पुत्र अनवर निवासी ग्राम खामपुर थाना छपार जनपद मुजफफरनगर से उसकी जान पहचान है, जो पहले से ही अवैध गांजा सप्लाई का धन्धा करता है। सलीम एवं उसके साथी अमान पुत्र इलियास निवासी मेरठ तथा विकास त्यागी पुत्र योगेन्द्र निवासी बागपत ने अब से लगभग 01 वर्ष पहले उसे अपने साथ उड़ीसा ले जाकर एवं वहॉ से गांजा लाकर सप्लाई करने के अवैध धन्धे में लगा दिया था। हम लोग उडीसा/आन्ध्र प्रदेश से लगभग 2500 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से अवैध गांजा खरीदते हैं और उसको कार की डिग्गियों व खिड़कियों में बनाई गई गोपनीय कैविटी में छिपाकर हैदराबाद, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होते हुए उ0प्र0 के आगरा से होकर नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफफरनगर आदि जनपदों में इस अवैध गांजा को ऊॅचे दामों में बेचते हैं।

उपरोक्त सम्बन्ध में थाना नालेज पार्क, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0ः 143/22 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—वर्ष—2015 में जनपद गाजीपुर के थाना क्षेत्र नन्दगंज में हुई हत्या की घटना में फरार चल रहे रूपये 50,000/— का पुरस्कार घोशित हिस्ट्रीशीटर (37ए) एवं शातिर अपराधी बनारसी यादव गिरफ्तार।

दिनाक 06—06—2022 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को वर्ष—2015 में जनपद गाजीपुर के थाना क्षेत्र नन्दगंज में हुई दिनदहाड़े सनसनीखेज हत्या की घटना को अंजाम देकर फरार चल रहे जनपद गाजीपुर से रू0 50,000/— के पुरस्कार घोषित हिस्ट्रीशीटर (37ए) एवं शातिर अपराधी बनारसी यादव को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बनारसी यादव पुत्र राजनाथ यादव, निवासी गौरहट, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः-

1— आधार कार्ड—01 अदद।

2— श्रम कार्ड—01 अदद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

गांधीवड़ी थाना उमरगांव, जनपद वलसाड (गुजरात) दिनांक 06—06—2022 समय—09.30 बजे प्रातः।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

निरीक्षक श्री राघवेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम द्वारा धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही हेतु गुजरात राज्य में मौजूद थी। कि विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष—2015 में थाना क्षेत्र नन्दगंज में हुई हत्या की घटना में वांछित रूपये 50 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी बनारसी

यादव जनपद वलसाड के थाना उमरगांव क्षेत्रान्तर्गत गांधीवडी में मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर बनारसी यादव उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त बनारसी यादव ने पूछताछ में बताया कि उसका अपने पट्टीदार संतोष यादव से पुरानी आपसी रंजिश चली आ रही थी। इसी रंजिश के कारण वर्ष–2002 में उसने अपने भाई के साथ मिलकर संतोष यादव को लगभग 15 गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस मुकदमें में जेल चला गया था। जमानत पर छूटकर आने के बाद वर्ष–2005 में सुनील यादव के साथ मिलकर जनपद वाराणसी के थाना चोलापुर क्षेत्रान्तर्गत तेवर गांव के रहने वाले टायर एजेन्सी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष–2006 में जनपद गाजीपुर के थाना सैदपुर क्षेत्रान्तर्गत अपने साथी अंगद यादव के कहने पर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके उपरान्त वर्ष–2015 में जनपद गाजीपुर के थाना नन्दगंज क्षेत्रान्तर्गत अपने साथियों के साथ मिलकर कारबाईन से अन्धाधुन्ध फायरिंग कर दो लोगों की हत्या कर दिया था। इसमें 01 व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इसके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था। वह तभी से लुकछिप कर वलसाड (गुजरात) में चाय फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी कर रहा था।

बनारसी यादव थाना खानपुर जनपद गाजीपुर का हिस्ट्रीशीटर भी है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 37ए है। उक्त बनारसी यादव का अपराधिक इतिहास निम्नवत् है:–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	478 / 02	302 / 201 भादवि	खानपुर	गाजीपुर
2	522 / 02	506 भादवि	खानपुर	गाजीपुर
3	534 / 02	3 गैगेस्टर एक्ट	खानपुर	गाजीपुर
4	63 / 05	302 भादवि	चोलापुर	वाराणसी

5	208/06	302 भादवि	चोलापुर	वाराणसी
6	246/06	3/25 आर्म्स एक्ट	चोलापुर	वाराणसी
7	237/06	3 गैंगेस्टर एक्ट	चोलापुर	वाराणसी
8	654/06	147/148/149/307/120बी भादवि	खानपुर	गाजीपुर
9	199/07	3 गेगेस्टर एक्ट	चोलापुर	वाराणसी
10	770/10	302/120बी/506/504/411 भादवि	खानपुर	गाजीपुर
11	54/15	302/120बी भादवि	नन्दगंज	गाजीपुर

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त बनारसी यादव को मु0अ0सं0 54/2015 धारा 147/148/149/302/307/34/120बी आई0पी0सी0 व 07 सीएलए एक्ट थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर में गिरफ्तार करते हुये इसका जनपद वलसाड (गुजरात) न्यायालय में ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

————————